

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 1972/पौष 22, 1893

No. 21] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 1972/PAUSA 22, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Grih Mantralaya)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January 1972

S.O. 29E.—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

Whereas I, V. V. Giri, President, of India, had on 16th October, 1963, made an Order, suspending for a period of one year the operation of certain provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (23 of 1963) (hereinafter referred to as "the Act") in relation to the Union territory of Manipur, and making certain incidental and consequential provisions which appeared to me to be necessary and expedient for administering the Union territory of Manipur in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period;

And whereas I had on 13th October, 1970, 14th April, 1971 and 12th October, 1971 made further Orders continuing the suspension of operation of the provisions of the Act for a further total period of one year and three months beyond the date on which the first-mentioned Order would otherwise have expired;

And whereas I am satisfied that the situation in the Union territory continues to be such that the administration of that territory cannot be carried on in accordance with the provisions of the Act and that for the proper administration of the Union territory it is necessary that the operation of the provisions of the Act suspended by me under the first-mentioned Order should continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made thereunder should continue to operate beyond two years and three months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and all other powers enabling me in that behalf, I hereby direct—

- (a) that the operation of the provisions of the Act suspended by virtue of clause (a) of the first-mentioned Order shall continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made by virtue of clause (b) of the said Order shall continue to be operative, for a further period of five days with effect from the 16th day of January, 1972; and
- (b) that for the words “two years and three months” occurring in clause (a) of the first-mentioned Order as subsequently amended, the words “two years, three months and five days” shall be substituted.

V. V. GIRI,
President.

NEW DELHI-4;
The 12th January, 1972.

[No. F. 10/1/72-SR.]
K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1972

क्र० आ० 29-ई.—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

आदेश

यतः, मैजे, व० वे० गिरि, भारत के राष्ट्रपति ने 16 अक्टूबर, 1969 को संघ राज्य-क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) (जिसे इससे इसके पश्चात् “अधिनियम” कहा गया है) के कतिपय उपबन्धों का प्रवर्तन मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित करते हुए, और कतिपय आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध बनाते हुए, जो मुझे पूर्वोक्त अवधि में मणिपुर संघ राज्य-क्षेत्र का प्रशासन सविधान के अनुच्छेद 239 के उपबन्धों के अनुसार चलाने के लिए आवश्यक और समीचीन लगे थे, एक आदेश किया था ;

और यतः मैजे, उस तारीख के पश्चात्, जिसको प्रथम-उल्लिखित आदेश का अन्यथा अवसान हो जाता, कुल एक वर्ष और तीन मास की और अवधि के लिए अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन का निलम्बित जारी रखते हुए 13 अक्टूबर, 1970, 14 अप्रैल, 1971 और 12 अक्टूबर, 1971 को और आदेश किए थे ;

और यतः मेरा यह समाधान हो गया है कि उस संघ राज्य-क्षेत्र में स्थिति अभी भी ऐसी बनी हुई है कि उस राज्य-क्षेत्र का प्रशासन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तभी चलाया जा सकता और यह कि उस राज्य-क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि प्रथम-उल्लिखित आदेश के अधीन मेरे द्वारा निलम्बित अधिनियम के उपबन्धों का प्रवर्तन निलम्बित रहना चाहिए और उस आदेश में बताये गये आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध दो वर्ष और तीन मास के पश्चात् भी प्रवर्तित रहने चाहिए ;

अन, अन्न, अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्वारा निदेश देता हूँ —

- (क) कि जनवरी, 1972 के 16 वें दिन से पांच दिन की और अवधि के लिये प्रथम-उल्लिखित आदेश के खण्ड (क) के आधार पर अधिनियम के तिलम्बित उपबन्धों का प्रवर्तन तिलम्बित रहेगा और उक्त आदेश के खण्ड (ख) के आधार पर बताये गये आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध प्रवर्तित रहेंगे, और
- (ख) कि तत्पश्चात् यथासंशोधित प्रथम उल्लिखित आदेश के खण्ड (क) में आए "दो वर्ष और तीन मास" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष, तीन मास और पांच दिन" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

नई दिल्ली;

12 जनवरी, 1972

ब० बे० गिरि

राष्ट्रपति ।

[न० एफ० 10/1/72-एस० आर०]

के० आर० प्रभु, सयुक्त सचिव ।

